भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2835

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया)

एनसीएलटी के खंडपीठ

2835. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री रविन्दर कुशवाहाः

श्री मनोज तिवारीः

श्री खगेन मुर्मुः

श्री रवि किशनः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री प्रतापराव जाधवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले वर्ष देश में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के और खंडपीठ स्थापित करने का है और यदि हां, तो देश में वर्तमान में कार्यरत एनसीएलटी के खंडपीठों की कुल संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में एनसीएलटी के अधिनियमन के बाद से इसकी खंडपीठों के समक्ष वर्तमान में दिवाला और अन्य नियमित मामलों संबंधी कंपनी-वार कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ग) अब तक कितने मामलों का निपटान किया गया है और आज की तिथि तक कंपनी-वार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की कुल कितनी राशि वसूल की गई है;

(घ) समाधान प्रक्रिया रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत लाये गए कारपोरेट देनदारों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में अपीलीय न्यायाधिकरणों और एनसीएलटी खंडपीठों की संख्या अथवा एनसीएलटी की क्षमता बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने एनसीएलटी की खंडपीठ स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क),(ङ) और (च): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) की पीठों की स्थापना कार्यभार की मात्रा और अन्य घटकों के आधार

पर एक चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। अभी तक, एनसीएलटी की एक मूल पीठ और 15 अन्य पीठों तथा एनसीएलएटी की एक मूल पीठ और एक अन्य पीठ की स्थापना की जा चुकी है। फिलहाल, एनसीएलटी और एनसीएलएटी की कोई नई पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पीठों की संख्या में वृद्धि के अलावा, सरकार एनसीएलटी की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है इनमें अधिक कार्यभार वाली पीठों में बहु-न्यायालय की स्थापना, रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर सदस्यों की नियुक्ति करना, ई-न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन, अपेक्षित मूलभूत ढांचे का प्रावधान, सदस्यों के लिए नियमित कोलोक्युईम, आदि आयोजित करना शामिल है।

(ख): एनसीएलटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31.01.2022 की स्थिति को, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत 13,188 मामलों, विलय एवं समामेलन (एमएडंए) के 1,107 मामलों और 6,794 अन्य मामलों सहित, एनसीएलटी की पीठों में 21,089 मामले लंबित हैं।

(ग) और (घ): एनसीएलटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31.01.2022 की स्थिति को, कुल 4,656 मामलों को समाधान प्रक्रिया के अधीन रखा गया है और 2,95,744.84 करोड़ रुपये की राशि की 470 समाधान योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है।

*****